न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3140

(107)

श्री ब्रजेन्द्र सिंह घोलाड़े
द्वारा आज दि. 5/9/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 5.9.17

1. राजेन्द्र पुत्र अयोध्याप्रसाद अहिरवार,
2. सियाराम पुत्र श्री चिरंजीलाल पाठक
निवासीगण ग्राम सिंगरावन कला, तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म0प्र0)

— आवेदक

बनाम

1. धर्मदास पुत्र श्री नगरिया अहिरवार, निवासी ग्राम सिंगरावन कला, तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 — अनावेदक
2. मध्य प्रदेश शासन
3. अयोध्याप्रसाद पुत्र परमा अहिरवार
4. बाबूलाल पुत्र नगरिया अहिरवार
5. पार्वती पुत्री नगरिया अहिरवार
6. संतोष पुत्र रामचरन अहिरवार
7. राजेन्द्र पुत्र रामचरन अहिरवार
8. ज्ञान पुत्री रामचरन अहिरवार
9. कुसुम पुत्री रामचरन अहिरवार
10. सरी पुत्री रामचरन अहिरवार
11. भूरी पुत्री रामचरन अहिरवार
12. पानाबाई पत्नी रामचरन अहिरवार,
समस्त निवासीगण– ग्राम सिंगरावन कला, तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म0प्र0)

— तरतीवी पक्षकार

ब्रजेन्द्र सिंह घोलाड़े
05/09/17

5/9/017

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.08.2017 द्वारा पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नौगॉंव, जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/अ–6/2010–11 के असंतुष्ट होकर।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3140

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
14-09-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। उनको प्रकरण की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया, उसके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नौगाँव, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक अधिवक्ता तर्क एवं निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28.08.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, नौगाँव, जिला छतरपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदक को विधिवत साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करें। सदस्य	